कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर–342001

email- jdajodhpur/yahoo.com वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612166/265635-7 Fax 0291-2612086

क्रमांकः F37.(3)/नि.आ./जो.स्त.स./का.वि./2023/3433 दिनांकः– 17/01/2023

–:कार्यवाही विवरणः–

नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के अधिसूचना क्रमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021 दिनांक 25.11.2021 के द्वारा गठित जोन स्तरीय समिति की 13/2023 वीं बैठक दिनांक 16.1.2023 को उपायुक्त (जोन–6) की अध्यक्षता में उनके कक्ष में सपन्न हुई। बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा पर लिये गये निर्णय निम्नानुसार है:–

एजेण्डा संख्या 01.

विषय :– जोन –6 की जोन स्तरीय समिति की 12/2023 वीं बैठक दिनांक 3.1.2023 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

निर्णय :– **समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श उपरान्त गत बैठक के कार्यवाही विवरण की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।**

एजेण्डा संख्या	विषय
02.	राजस्व ग्राम देसुरिया बिश्नोईयान के खसरा संख्या 74/1 के भूखण्ड संख्या 9 क्षेत्रफल 790.27 वर्गगज, भूखण्ड संख्या 18 क्षेत्रफल 875.29 वर्गगज, कुल क्षेत्रफल 1665.56 वर्गगज का पुनर्गठन करने बाबत।

प्रकरण तथ्य–

1. प्रकरण में प्रार्थी के नाम आवेदित भूखण्डो के पट्टो विलेख जारी है।
2. आवेदक द्वारा प्रस्तुत गूगल फोटो व शपथ–पत्र अनुसार तथा दिनांक 07.06.2022 को कनिष्ठ अभियन्ता की मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूखण्ड मौके पर रिक्त है।
3. विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रकरण से संबधित कोई वाद न्यायालय में लम्बित नही हैं।
4. प्रकरण में जोन रिपोर्ट अनुसार एकमुश्त लीज जमा है।
5. अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रकरण अवाप्ति शाखा मे विचाराधीन नही है।
6. दिनांक 07.12.2022 को दैनिक नवज्योती अखबार में जारी विज्ञप्ति के क्रम में कोई आपत्ति प्राधिकरण के आयोजना शाखा में प्राप्त नही हुई है।
7. जेड.डी.पी, 2031 अनुसार उक्त भूखण्डो मे से कुछ भू–भाग पर वृक्षारोपण पट्टी प्रस्तावित है।

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श कर प्रकरण में भूखण्डो का पुनर्गठन निम्न शर्तो पर किये जाने का निर्णय लिया गया है।

01. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 2 के क्रम में वृक्षारोपण पट्टी से प्रभावित भू–भाग (क्षेत्रफल) को साईट प्लान जारी करते समय निर्माण निषेध क्षेत्र (No Construction Zone) से अंकित किया जाये।
02. पुनर्गठित भूखण्ड (9 व 18) का पहूँच मार्ग पूर्व दिशा में दी गई 60 फीट संड़क को ही माना जाये। यदि भविष्य में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर द्वारा जारी अनुमोदित ले–आउट प्लान में कोई संशोधन किया जाता है तो उक्त संशोधन प्रश्नगत भूखण्ड पर भी लागू होगा।
03. प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड पर किसी भी प्रकार का निर्माण करवाने से पूर्व भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त करनी अनिवार्य होगी।
04. वृक्षारोपण पट्टी से प्रभावित भू–भाग पर किसी भी प्रकार का निर्माण अनुज्ञेय नही है व सघन वृक्षारोपण किया जायें।
05. पुनर्गठन आदेश प्रार्थी के स्वामित्व दस्तावेजो के आधार पर जारी किया जाये।
06. मूल भुखण्ड में तत्कालीन भवन विनियम के अनुसार सैटबेक रखे जाने अपेक्षित है।
07. विद्युत लाईन की स्थिति एव क्षमता बाबत टिप्पणी प्राप्त कर नियमानुसार सेफ्टी कोरिडोर का प्रावधान किया जावे।
08. प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।

एजेण्डा संख्या	विषय
03	राजस्व ग्राम बासनी मालियान् के खसरा संख्या 277, 283, 283 मीन 285, पूंजला के खसरा संख्या 335/1, 335/2, 335/2, 336, 336/1, 337 एवं पूंजला के खसरा संख्या 322 के अनुमोदित ले आउट प्लान में संशोधन के संबंध में।

उक्त अनुमोदित ले–आउट प्लान में सर्वेयर मानचित्र व मौका स्थिति में कुछ भिन्नता पाई गई। जिसके कारण कई साईट प्लान जारी नही किये जा सकें।

निर्णय :–

1. मौका रिपोर्ट करवा कर स्कीम की सीमाओं में बिना कोई परिवर्तन किये आन्तरिक परिवर्तन जैसे भूखण्डो की संख्या का अंकन व माप मे संशोधन करके संशोधित मानचित्रों के क्लोथमिडिया जारी करने का निर्णय लिया गया है।

2. उक्त संशोधन में सड़क मार्गाधिकार एवं सुविधा क्षेत्र में कोई परिवर्तन नही हुआ है। सड़क मार्गाधिकार एवं सुविधा क्षेत्र को यथावत रखा गया है।

तहसीलदार जोधपुर विकास प्राधिकरण	~~सहायक~~/अधिशाषी अभियन्ता जोधपुर विकास प्राधिकरण	सहायक ~~उप~~ नगर नियोजक जोधपुर विकास प्राधिकरण	उपायुक्त (उत्तर) जोधपुर विकास प्राधिकरण

क्रमांकः F37.(3)/नि.आ./जो.स्त.स./.का.वि./2023/ 3435-3439 **दिनांकः–** 17/01/2023

प्रतिलिपी :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
2. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
3. निदेशक (आयोजना) महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
4. उपायुक्त जोन–6, जो.वि.प्रा., जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. सहायक/अधिशाषी अभियन्ता, जो.वि.प्रा., जोधपुर
6. तहसीलदार, जो.वि.प्रा., जोधपुर

सहायक नगर नियोजक जोन–6
एवं सदस्य सचिव, जोन स्तरीय समिति
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर